20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

217

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि-3233-I/16

प्र.क. /2016 निगरानी

बादाम सिंह तनय कल्लू यादव
निवासी ग्राम–गुजर्राखुर्द, तहसील निवाडी,
जिला टीकमगढ (म.प्र.) ------आवेदक

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह द्वारा आज दि. 21/9/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-9-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर
जिला टीकमगढ (म.प्र.) -----अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा' 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 24/स्व.निग./2005–06 में पारित आदेश दिनांक 28–2–2007 से परिवेदित होकर।

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्यः–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक बादाम सिंह तनय कल्लू यादव द्वारा ग्राम गुजर्राखुर्द का मूल निवासी होने एंव ग्राम गुजर्राखुर्द की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 12 जुज के रकवा 12.253 हैक्टर में से रकवा 1.000 हैक्टर पर दिनांक 2.10.1984 के पूर्व से विवादित भूमि पर कब्जा होकर, खेती करने एंव भूमिहीन कृषि मजदूर होने एंव व्यवस्थापन/पट्टा की पात्रता होने से व्यवस्थापन/पट्टा हेतु नायब तहसीलदार महोदय ओरछा के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया।

यहकि, नायब तहसीलदार महोदय द्वारा आवेदक के आवेदन–पत्र को प्रकरण कमांक 4/अ–19/2002–03 पर बिधिवत दर्ज किया जाकर, इश्तहार जारी किया गया समय सीमा में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, पटवारी ग्राम से रिपोर्ट ली जाकर,

XXXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3233/I/2016 निगरानी जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–9–2016	आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त कुमार सिंह द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ, जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 24/स्व.निग./2005–06 में पारित आदेश दिनांक 28.2.2007 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता–1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक बादाम सिंह तनय कल्लू यादव ने ग्राम गुजर्राखुर्द का मूल निवासी होने एंव ग्राम गुजर्राखुर्द की शासकीय भूमि खसरा न. 12 जुज के रकवा 12.253 हैक्टर में से रकवा 1.000 हैक्टर पर दिनांक 2.10.1984 के पूर्व से काविज होकर, भूमिहीन होने तथा आंबटन की पात्रता रखते हुये नायब तहसीलदार ओरछा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा प्र0क0 4/अ–19/2002–03पर पंजीवद्व किया जाकर, आदेश दिनांक 23–5–2003 को (विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984) के तहत आवेदक के पक्ष में आंबटन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी निवाडी द्वारा आवेदक के प्रकरण का परीक्षण किया जाकर प्रतिवेदित किया गया कि नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा अवैधानिक तरीके से इस प्रकरण में भूमिस्वामी स्वत्व दिया गया है। अतःनायब तहसीलदार ओरछा का आदेश दिनांक 23–5–2003 को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया जावें। जिस पर से अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा आवेदक के प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी प्र0क0 24/स्व.निग./2005–06 पर पंजीवद्व किया जाकर, दिनांक 28–2–2003 को आदेश पारित कर आवेदक का आंबटन निरस्त कर उक्त विवादित भूमि को शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि नायब तहसलीदार महोदय द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर आवेदक के पक्ष में आंबटन किया है नायब तहसीलदार महोदय के आदेश के पालन में आवेदक को भूस्विामी अधिकार प्रदान किये गये है आवेदक का शासकीय अभिलेख में इन्द्राज हो चुका है, जिसे अपर कलेक्टर महोदय द्वारा मात्र अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर 3 वर्ष बाद स्वप्रेरणा में लेकर आवेदक को सूचना दिये बिना निरस्त किया गया हैं। आवेदक द्वारा उक्त विवादित भूमि पर करीव 20,000/– रूपये खर्च कर भूमि को समतल व कृषि योग्य बनाया गया है। अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टान्त 1988(1) म.प्र. वीक्ली नोट्स 26 (उच्चतम न्यायालय) का हवाला देते हुए निगरानी समय सीमा में स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि, अपर कलेक्टर का आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ निगरानी मेमो के तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेजो एंव उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया एंव नायब तहसीलदार ओरछा के आंबटन आदेश दिनांक के अवलोकन पर पाया गया कि, आवेदक को भूमि खसरा न. 12 जुज के रकवा 12.253 हैक्टर में से रकवा 1.000 हैक्टर का आंबटन (म.प्र.दखल रहित भूमि विशेष उपवन्ध अधिनियम 1984) के तहत विधिवत प्रकिया अपनाई जाकर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये। किन्तु अपर कलेक्टर ने लगभग 3 वर्षो बाद आवेदक के प्रकरण को स्वमेंव निगरानी में लेकर नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर उक्त भूमि शासकीय धोषित की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपर कलेक्टर टीकमगढ ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में आवेदक की ओर से उद्धरित न्याय दृष्टान्त 1988 (1) म.प्र. वीक्ली नोट्स 26

(उच्चतम न्यायालय) इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होता है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात जंहा तक आवेदक के आंबटन का प्रश्न है, यह पाया जाता है कि अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी समयसीमा में स्वीकार की जाकर, अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/स्व.निग./2005–06 में पारित आदेश दिनांक 28–2–2007 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार ओरछा के प्रकरण क्रमांक 4/अ–19/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 23–5–2003 यथावत रखा जाकर, तहसीलदार ओरछा को निर्देश दिये जाते है कि वह आवेदक के नाम की प्रविष्टि खसरे में अंकित करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर